न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग जिला डीग(राज.)

प्र0 सं0 17/2023 (जी.सी.एम.एस. 2023/59) पीठासीन अधिकारी:– **डॉ.रवि कुमार गोयल** (R.A.S)

उनवान

1. गीतादेवी पत्नी स्व0 मुरारीलाल
2. लोकेश कुमार पुत्र स्व0 मुरारीलाल
3. वंदना गोयल पत्नी लोकेश कुमार

जातियान वैश्य नि0 ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग हाल नि0 बी–2/61 सेवक पार्क उत्तम नगर नई दिल्ली

–सायलान

बनाम

1. गिरीश पुत्र स्व0 मुरारीलाल
2. पुष्पेन्द्र गोयल पुत्र स्व0 मुरारीलाल

जातियान वैश्य नि0 खेडा ब्राह्मण तहसील डीग हाल नि0 ए–29 सैनिक नगर उत्तम नगर नई दिल्ली

3. तारा पुत्र भागचन्द जाति वैश्य नि0 ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग हाल नि0 मकान नम्बर 47 ग्राउण्ड फलोर गली नम्बर 06 अर्जुन नगर नई दिल्ली
4. प्रेमलता पुत्री स्व0 भागचन्द पत्नी जगन प्रसाद अग्रवाल एड0 जाति वैश्य नि0 कस्बा किरावली तहसील किरावली जिला आगरा(उ.प्र.)
5. सुमित्रा पुत्री स्व0 भागचन्द पत्नी रमेशचन्द पत्नी रमेशचन्द अग्रवाल जाति वैश्य नि0 मकान नम्बर 73 प्रथम तल गौतम नगर नई दिल्ली
6. भगवती पुत्री स्व0 भागचन्द पत्नी बालगोविन्द अग्रवाल जाति वैश्य नि0 मकान नम्बर–51 प्रथम तल गौतम नगर नई दिल्ली
7. कुसुम पुत्री स्व0 भागचन्द पत्नी मोहनस्वरूप अग्रवाल जाति वैश्य नि0 मकान नम्बर 44–ए/1 अर्जुन नगर नई दिल्ली
8. ललतेश गोयल पत्नी ताराचन्द जाति वैश्य नि0 ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग हाल नि0 मकान नम्र 47 ग्राउण्ड फलोर गली नम्बर 6 अर्जुन नगर नई दिल्ली

9. कन्नो उर्फ कन्हैयालाल
10. मेघश्याम

पुत्रगण विद्याधर

10/1. कुलदीप
10/2.. लोकेश

पुत्रगण मेघश्याम

10/3. पुन्नो पत्नी मेघश्याम

11. रज्जो उर्फ राजकुमार पुत्र विद्याधर

जातियान ब्राह्मण नि0खेडा ब्राह्मण तह0डीग जिला डीग(राज0)

12. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग

–गैर सायलान

अधिकारी ★ डीग जिला डीग (राज.)

Ravi

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत
धारा 212(2) आर.टी.एक्ट,

निर्णय

दिनांकः 24.06.2024

सायलान द्वारा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) आर.टी.एक्ट, इस आशय के साथ पेश किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 386/0.23, 387/2698/0.17, 393/0.30, 394/0.32, 426/0.62, 427/0.33, 428/0.22, 994/0.25, 997/0.48, 998/0.05, 100/0.03, 1097/0.12, 1308/0.43, 995/0.24, 996/0.17, 1391/0.14, 1135/2715/0.07, 1144/0.34, वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग में स्थित है। सायलान एवं प्रति0 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिस पर सायलान एवं प्रति0 मुताविक हिस्सा दर्ज जमाबन्दी अपने अपने हिस्से की आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। विवादित आराजी सायलान एवं प्रति0 की सम्मिलित कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिसकी अभी बंटवारा नहीं हुआ है। विवादित आराजी के सम्मिलित कब्जे काश्त में पक्षकारान में आपस में नहीं वनती है और चाहे जब आपस में विवाद पैदा हो जाता है। अतः निवेदन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 386/0.23, 387/2698/0.17, 393/0.30, 394/0.32, 426/0.62, 427/0.33, 428/0.22, 994/0.25, 997/0.48, 998/0.05, 100/0.03, 1097/0.12, 1308/0.43, 995/0.24, 996/0.17, 1391/0.14, 1135/2715/0.07, 1144/0.34, वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग को कब्जेराज लिया जाकर विवादित आराजी पर तहसीलदार डीग को रिसीवर नियुक्त किया जाकर काश्त की व्यवस्था की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 23.04.2024 को गैर सायलान संख्या 01 लगायत 08 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि उक्त आराजी का संयुक्त खातेदारी की भूमि है। आराजी का काफी समय पूर्व आपसी मनबट के आधार पर विभाजन मौके पर हो गया था और विभाजन के अनुसार अपने अपने हिस्से पर पक्षकारान काबिज है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण को दिनांक 13.06.2022को किसी प्रकार से कोई धमकी नहीं दी गई और प्रार्थी व अप्रार्थीगण पूर्व के मौखिक बंटवारे के आधार पर अपने अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर पक्षकारान की काश्त के बिषय में कोई विवाद नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की सामलात खातेदारी की आराजी की बावत उक्त प्रकरण विधि विरूद्व रूप से अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के आशय से झूंठे कथनों का समावेश किया है। उक्त विवादित आराजी पर स्थगन आदेश वर्तमान में प्रभावी है। लेकिन स्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के बावजूद अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी में हस्तक्षेप करते है और प्रार्थीगण की आराजी में काश्त नहीं करने देते है और गम्भीर वारदात करने की

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

फिराक में है। उक्त मुकदमे के पक्षकार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण स्थाई तौर पर दिल्ली में निवास करते है और दिनांक 10.04.2023 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को किसी प्रकार की ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग में आकर कोई धमकी नहीं दी थी। प्रार्थीगण पूर्व के कब्जे के आधार पर अपनी कब्जेशुदा भूमि में काश्त करते चले आ रहे है और सभी को–शेयरर विवादित आराजी पर काबिज है और एक सहखातेदार को रिसीवर की प्रक्रिया की आड में काश्त करने से नहीं रोका जा सकता है। अतः जबाव प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) आर.टी.एक्ट, को खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 20.6.2024 को अप्रार्थीगण संख्या 9 व 10/1 लगायत 10/3 व 11 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि हाज आराजी खसरा नम्बर 1391/0.14 वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण से हम अप्रार्थीगण संख्या 9 व 10/1 लगायत 10/3 व 11 के अतिरिक्त प्रार्थीगण गीतादेवी वगै0 व अन्य अप्रार्थीगण व अन्य किसी का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। हाल आराजी खसरा नम्बर 191/0.14 पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07 का नाम गलत एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 06.10.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के आधार पर दर्ज हो रहा है। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 06.10.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के विरूद्व हम अप्रार्थीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प डीग द्वारा स्टे भी जारी किया हुआ है। आराजी खसरा नम्बर 1391/0.14,वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है और इसी कारण प्रार्थीगण गीतादेवी वगै0 द्वारा हम प्रार्थीगण के विरूद्व कोई प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा तक पेश नहीं किया गया है। उक्त खसरा नम्बर 1391/0.14 वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण पर हम अप्रार्थीगण संख्या 9 व 10/1 लगायत 10/3 व 11 का मौके पर शाति पूर्वक कब्जा काश्त है। इससे प्रार्थीगण गीतादेवी वगै0 व अन्य किसी का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। अतः जबाव प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) आर.टी.एक्ट, को खारिज फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र सायल अन्तर्गत धारा 212 (2) आर.टी.एक्ट, स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बरान 386/0.23, 387/2698/0.17, 393/0.30, 394/0.32, 426/0.62, 427/0.33, 428/0.22, 994/0.25, 997/0.48, 998/0.05, 100/0.03, 1097/0.12, 1308/0.43, 995/0.24, 996/0.17, 1391/0.14, 1135/2715/0.07, 1144/0.34, वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग को कब्जेराज लिया जाकर विवादित आराजी पर तहसीलदार डीग को रिसीवर नियुक्त किया जाकर काश्त की व्यवस्था की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

गैर सायलान के विद्वान वकील द्वारा बहस प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र के जबाव में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है। आराजी का काफी समय पूर्व आपसी मनबट के आधार पर विभाजन मौके पर हो गया था और विभाजन के अनुसार अपने अपने हिस्से पर पक्षकारान काबिज है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण को दिनांक 13.06.2022 को किसी प्रकार से कोई धमकी नहीं दी गई और प्रार्थी व अप्रार्थीगण पूर्व के मौखिक बंटवारे के आधार पर अपने अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर पक्षकारान की काश्त के बिषय में कोई विवाद नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 1391/0.14 वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण पर हम अप्रार्थीगण संख्या 9 व 10/1 लगायत 10/3 व 11 का मौके पर शाति पूर्वक कब्जा काश्त है। इससे प्रार्थीगण गीतादेवी वगै0 व अन्य किसी का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) आर.टी.एक्ट, तथ्यों के विपरीत होने से काविले खारिजी के है जिसे खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) आर.टी.एक्ट पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया।

प्रथम दृष्ट्या प्रकरणः– विवादित आराजी सायलान एवं प्रति0 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिस पर सायलान एवं प्रति0 मुताविक हिस्सा दर्ज जमाबन्दी अपने अपने हिस्से की आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। विवादित आराजी सायलान एवं प्रति0 की सम्मिलित कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिसका नियमानुसार बंटवारा नहीं हुआ है। विवादित आराजी के सम्मिलित कब्जे काश्त में पक्षकारान के मध्य आपस में वनती नहीं है। सायलान द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे स्पष्ट होता हो कि पक्षकारान के मध्य झगडा होने व जन हानि होने का अंदेशा हो। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण गैर सायलान के पक्ष में प्रकट होना प्रतीत है।

सुविधा का संतुलनः– विवादित आराजी सायलान एवं प्रति0 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिस पर सायलान एवं प्रति0 मुताविक हिस्सा दर्ज जमाबन्दी अपने अपने हिस्से की आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। विवादित आराजी सायलान एवं प्रति0 की सम्मिलित कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिसका नियमानुसार बंटवारा नहीं हुआ है। विवादित आराजी के सम्मिलित कब्जे काश्त में पक्षकारान में आपस में वनती नहीं है। सायलान द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे स्पष्ट होता हो कि पक्षकारान के मध्य झगडा होने व जन हानि होने का अंदेशा हो। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन गैर सायलान के पक्ष में प्रकट होना प्रतीत है।

अपूर्तिनीय क्षतिः– विवादित आराजी खसरा नम्बर 1391/0.14,वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। उक्त खसरा नम्बर 1391/0.14 वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण पर अप्रार्थीगण संख्या 9 व 10/1 लगायत 10/3 व 11 का मौके पर शाति पूर्वक कब्जा काश्त है। इससे प्रार्थीगण गीता देवी वगै0 व अन्य किसी का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार होना प्रतीत नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) आर.टी.एक्ट पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, वकील उभय

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

पक्षकारान की बहस अनुसार प्राइमा फेसी केस व बैलेंस ऑफ कन्वीनियन्स एवं अपूर्तिनीय क्षति गैर सायलान के पक्ष में प्रतीत होती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) आर.टी.एक्ट, के तथ्य व परिस्थिति की दृष्टि से वकील सायलान व गैर सायलान के द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड, कानूनी नजीरों के अवलोकन व प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। सायलान द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे स्पष्ट/सावित होता हो कि पक्षकारान के मध्य आये दिन झगडा होने व कभी भी जन हानि होने का अंदेशा हो। ऐसी स्थिति में हम सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 (2) आर.टी.एक्ट,अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि:–

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) आर.टी.एक्ट, प्रस्तुत साक्ष्य से सावित नहीं होने पर खारिज किया जाता है।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को लिखाया जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

जिला डीग (राज.)

Scanned with OKEN Scanner